राजस्थान विधान सभा

आठवां सत्र

कार्य-सूची

गुरूवार, दिनांक 30 मार्च, 2017

बैठक का समय-प्रात: 11.00 बजे

1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

2. शोकाभिव्यक्ति

श्री ललित सिंह शक्तावत, पूर्व सदस्य, चौथी एवं पाँचवी राजस्थान विधान सभा के निधन पर शोक प्रकट किया जायेगा एवं श्रद्धांजलि अर्पित की जायेगी।

3. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

(क) अधिसूचना

वित्त विभाग

श्री राजपाल सिंह शेखावत, उद्योग मंत्री, वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या: एफ.24(6)वित्त/कर/2015-126 दिनांक 27.3.2017, जिसके द्वारा राजस्थान दिवस के दौरान दिनांक 28 एवं 29 मार्च, 2017 को दिखाई जाने वाली कतिपय बाल फिल्मों को मनोरंजन कर से सशर्त मुक्त किया गया है, सदन की मेज पर रखेंगे ।

(ख) प्रतिवेदन

श्री राजपाल सिंह शेखावत, उद्योग मंत्री, निम्नांकित प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे : -

I- भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र); एवं

II- भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (आर्थिक क्षेत्र)

जारी..2..

4. विधायी कार्य

विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक

(I) राजस्थान वित्त विधेयक, 2017

(I) श्रीमती वसुन्धरा राजे, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगी कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-

राजस्थान वित्त विधेयक, 2017
(2017 का विधेयक संख्या-11)

"वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिये राज्य सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी करने के लिये राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003,राजस्थान (होटलों और बासों में) विलासों पर कर अधिनियम, 1990, राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर अधिनियम, 1957 और राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 को और संशोधित करने और कतिपय अन्य उपबन्ध करने के लिये विधेयक ।''

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

(II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगी कि विधेयक को पारित किया जाय ।

(II) राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2017

(I) श्रीमती वसुन्धरा राजे, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगी कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-

राजस्थान विनियोग(संख्या-2)
विधेयक, 2017
(2017 का विधेयक संख्या-7)

''वित्तीय वर्ष 2017-2018 की सेवाओं के लिये राज्य की समेकित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोजन को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक ।''

(II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगी कि विधेयक को पारित किया जाय ।

पृथ्वी राज
सचिव

विधान सभा भवन,
जयपुर
दिनांक 28 मार्च, 2017